

# 12

## सामूहिक बीमा योजना

### विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत “बचत निधि” में जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में संशोधन	सं०-५८२ / वि०अनु०-३ / २००२, देहरादून, दिनांक—११ अक्टूबर, २००२	१७७-१७८
2	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण	सं०-१६ / XXVII(7)सा०बीमा / २००५, देहरादून, दिनांक—२४ अक्टूबर, २००५	१७९-१८०
3	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण	सं०-३७ / XXVII(7)स्पबी० यो० / २००९, देहरादून, दिनांक—१३ फरवरी, २००९	१८१-१८२

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष  
एवं समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग—३

देहरादून: दिनांक 11 अक्टूबर, 2002

विषय— उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत ‘बचत निधि’ में जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या: बीमा—1027 / दस—९०—८७ / ८३, दिनांक ०५—०७—१९९० की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर—१ में व्यवस्था है कि उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत समूह “क”, “ख” एवं “घ” के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक अभिदानों में बचत निधि में जमा धनराशि पर 12 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चूँकि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या : ७(१) / संस्था / २००१, दिनांक २१—०१—२००२ द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना हेतु “बचत निधि” पर दिनांक १—३—२००२ से ब्याज की दर ९.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक) कर दी गई है अतः शासन ने समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि दिनांक ०१—०३—२००२ से उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत समूह “क”, “ख”, “ग” एवं “घ” के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उक्त निधि में जमा धनराशि पर ब्याज ९.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक) की दर से दिया जायेगा।

२. उक्त संशोधन इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व भुगतानित प्रकरण पुनरोदघाटित नहीं किए जायेंगे।

३. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन ‘केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना’ के अनुरूप किया जाता है, अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारत सरकार द्वारा “केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना” हेतु बचत निधियों की ब्याज दरों में जो भी परिवर्तन किया जायेगा, तदनुसार “उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत निधि में जमा धनराशि” पर ब्याज की दरें भी स्वतः संशोधित मानी जायेगी।

मवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे  
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद, उ०प्र०।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के० सी० मिश्र<sup>०</sup>  
अपर सचिव, वित्त।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराचल शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा,  
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराचल।

वित्त अनुभाग – 7

देहरादून, दिनांक : २४ अक्टूबर, 2005

**विषय:-** उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या— बीमा-९ ५९ / दस-९३-१८९ (ए) / ८९, दिनांक २५ जून, १९९३ के सन्दर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या— प०मा०नि०-३५६ / दस-२२(एम) / ९७, दिनांक २३.१२.१९९७ द्वारा दिनांक ०१.०१.१९९६ से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक २५.०६.१९९३ द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनांक ०१.०१.१९९६ से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतनमान का अधिकतम रु० 13501 या इससे अधिक	120	36	84	120000
2	वेतनमान का अधिकतम रु० 7000 से 13500 तक	60	18	42	60000
3	वेतनमान का अधिकतम रु० 6999 तक	30	9	21	30000

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा :-

- (क) उक्त आदेश दिनांक 01.09.2003 से प्रभावी माने जायेगे।
- (ख) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 के पूर्व रु0 1350-2200 था तथा दिनांक 01.01.01996 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 4500-7000 हो गया है, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रु0 30/- की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रु0 30,000/- होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.09.2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान के दर रु0 60/- तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रु0 60,000/- होगी।
- (ग) पूर्व में निम्नारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्णजीवित नहीं किया जायेगा।
- (घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा इसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।
- (ङ) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)

प्रमुख सचिव

संख्या । ८ (१) / XXVII(7) सा०बीमा / 2005 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्री राज्यपाल सचिवालय।
3. विधान सभा सचिवालय।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून को उनके पत्र संख्या- 9390 / वि०ले०ह० / मा० बी०-३८ / 2003, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में।
7. पुलिस नहानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल / इरला चेक / भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून एकक, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

7/13

(टी० एन० सिंह)

अपर संचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-७

देहरादून:दिनांक: १ुफरवरी, २००९

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या: ३९५/xxvii(7)/२००८ दिनांक १७ अक्टूबर, २००८ के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक १-१-२००६ से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा सम्पूर्ण विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन, के निमित्त दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य वेतन	मासिक अभिदान ग्रेड की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रु०२८०० तक	100	30	70	1,00,000
2	रु० २८०१ से रु० ५४००	200	60	140	2,00,000
3	रु० ५४०१ से अधिक	400	120	280	4,00,000

३-मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक

अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क)उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च,2009 का वेतन देय 1 अप्रैल,2009 से प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(ख)पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्णजीवित नहीं किया जायेगा।

(ग)वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(घ)उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 16/xxvii(7) साठबीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर,2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,  
*M. Jai*  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ३७-(1)/xxvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, माठ राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनेल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
*M. Jai*  
(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव।